न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/55/2019

अपींलाट मांगीलाल पुत्र श्री पूनमाराम
निवासी आदर्श सोनड़ी तहसील सेड़वा

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सेड़वा

आदेश

दिनांक : 11.12.2019

अपीलार्थी मांगीलाल पुत्र श्री पूनमाराम निवासी आदर्श सोनड़ी तहसील सेड़वा ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार सेड़वा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 29.07.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या लागू नही दिनांक शून्य का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सेड़वा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज भू-अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 28 के तहत नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने का प्रावधान हैं। विशेष अधिनियम व नियमों में प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का प्रावधान हैं वह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नहीं दी जा सकती हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियमानुसार कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी को प्रेषित किया जाकर प्रार्थी को तद्नुसार सूचित किया जा चुका हैं, लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट व रेस्पोडेंट को सुना एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा भू-अभिलेख से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतिलिपि चाही गई हैं जिसके लिये प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु विशेष नियमों मे प्रावधान हैं, प्रार्थी को नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.12.28 13:49:40 IST
Reason: SelfAttested